

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

100 सीटर कन्या छात्रावासों के भवन हेतु फर्नीचर, बिस्तर एवं बाउडीवाल हेतु ₹ 750.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 6

05 पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास के स्थापना हेतु ₹ 22.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन-बैंड/वेतनमान	ग्रेड-वेतन	पद संख्या
1	अधीक्षक / शिक्षक (पंचायत)	9300-34800 4500-7000	4200 -	05
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना		15
3.	पूर्णकालिक स्वच्छक	आकस्मिकता स्थापना		05
योग-				25

पो.मैट्रिक अनु.ज.जाति छात्रावास

क्रमांक	जिला	छात्रावास का नाम	सीट संख्या
1	दंतेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अनु.ज.जाति बालक छात्रावास दंतेवाड़ा	200
2	दंतेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अनु.ज.जाति कन्या छात्रावास दंतेवाड़ा	200
3	दंतेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अनु.ज.जाति बालक छात्रावास किरन्दुल	100
4	दंतेवाड़ा	पोस्ट मैट्रिक अनु.ज.जाति कन्या छात्रावास किरन्दुल	100
5	कोण्डागांव	पोस्ट मैट्रिक अनु.ज.जाति विज्ञान छात्रावास कोण्डागांव	100

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

1. पूर्व माध्यमिक शाला कुम्हारबहार वि.ख. फरसाबहार जिला जशपुर को हाई स्कूल में उन्नयन हेतु राशि ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतन बैंड/वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	प्राचार्य	9300-34800	5400	01
2	व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)	9300-34800 5300-8300	4300	06
3	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	01
2	सहायक शिक्षक विज्ञान / सहायक शिक्षक (पंचायत)	5200-20200 3800-5800	2400	01
3	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	01
4	भृत्य नियमित	4750-7440	1300	02
5	चौकीदार	4750-7440	1300	01
6	स्वच्छक (अंशकालिक)	आकस्मिकता स्थापना		01
योग-				14

2. 03 माध्यमिक शालाओं के हाईस्कूलों में उन्नयन के लिए स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

क्रमांक	पूर्व स्वीकृत स्थान	परिवर्तन स्थान
1	हाईस्कूल हाडीगांव विकास खंड माकड़ी जिला कोण्डागांव	माध्यमिक शाला बिन्जोली विकास खंड माकड़ी जिला कोण्डागांव
2	माध्यमिक शाला सरडीह विकास खंड बैकुंठपुर जिला कोरिया	माध्यमिक शाला कटकना विकास खंड बैकुंठपुर जिला कोरिया
3	कन्या माध्यमिक शाला आमापल्ली	जनपद माध्यमिक शाला बीजापुर विकास खंड

विकास खंड उसूर जिला बीजापुर	बीजापुर जिला बीजापुर
-----------------------------	----------------------

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 10,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 8

2. 04 हाईस्कूलों के हायर सेकेंडरी में उन्नयन के लिए स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्र.	संस्था का नाम	संस्था का नाम
1	2	4
1	कन्या हाई स्कूल नगरनार वि.ख. जगदलपुर जिला बस्तर	कन्या हाई स्कूल किलेपाल वि.ख. बास्तानार जिला बस्तर
2	हाई स्कूल बिजली वि.ख. नारायणपुर जिला नारायणपुर	हाई स्कूल हिलानी वि.ख. नारायणपुर जिला नारायणपुर
3	हाई स्कूल ऐड़का वि.ख. नारायणपुर जिला नारायणपुर	हाई स्कूल डूमरटोला वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव
4	हाई स्कूल चेंद्रा वि.ख. ओड़गी जिला सुरजपुर	हाई स्कूल साल्हे वि.ख. डोण्डी जिला बालोद

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 9

05 पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास के भोजन सहाय योजना हेतु ₹ 3.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 10

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में आवासरत् पात्र छात्रों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 2200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 11

जिला दंतेवाड़ा में 500 सीटर नवीन कन्या शिक्षा परिसर दंतेवाड़ा की स्थापना हेतु ₹ 51.59 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड/वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	प्राचार्य	15600-39100	5400	01
2	व्याख्याता	9300-34800	4300	08
3	पी.टी.आई. / शिक्षक(पंचायत) व्यायाम	9300-34800 4500-7000	4200 -	01
4	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800	4 300	01
5	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	2400	03
6	उद्योग शिक्षक / शिक्षक(पंचायत)	9300-34800 4500-7000	4300 -	01
7	कम्प्यूटर शिक्षक / शिक्षक (पंचायत) (कम्प्यूटर)	9300-34800 5300-8300	4200 -	01
8	संगीत शिक्षक / शिक्षक(पंचायत) संगीत	9300-34800 4500-7000	4200 -	01
9	सहायक शिक्षक (तबला) / सहायक शिक्षक (पंचायत) तबला	5200-20200 3800-5800	2400 -	01
10	सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (पंचायत)	5200-20200 3800-5800	2400 -	02
11	सहायक पुस्तकालय अधीक्षक	5200-20200	2800	01

12	पुस्तकालय सहायक	5200-20200	2400	01
13	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	5200-20200	2400	01
14	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	02
15	चतुर्थ श्रेणी नियमित	4750-7440	1300	03
16	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना		03
17	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना		01
18	पूर्णकालीक स्वच्छक	आकस्मिकता स्थापना		01
योग :-				33

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

अशा. संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा संचालित अबुलमाड उपकेन्द्र के 03 प्राथमिक शालाओं में 40 सीट वृद्धि हेतु ₹ 6.10 लाख एवं नेहरू शताब्दी परियोजनांतर्गत संचालित योजना के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 27.00 लाख कुल ₹ 33.10 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 13

जिला दंतेवाड़ा के विकासखण्ड दंतेवाड़ा के ग्राम बड़ेबचेली में जल प्रदाय योजना की पुनरीक्षित लागत के आधार पर ₹ 106.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

जिला बलरामपुर के विकासखण्ड बलरामपुर में जल प्रदाय योजना पुनरीक्षित के आधार लागत ₹ 100.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 15

लाईवलीहुड कालेज के स्थापना अनुदान हेतु ₹ 272.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 से 17

विश्व बैंक योजनांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु ₹ 53.40 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 18 से 19

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल योजना का क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20 से 21

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 1140.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 22 से 27

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28 से 32

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33 से 34

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35 से 40

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी-सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 6.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41 से 42

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (उद्यानिकी) योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 808.57 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,08,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 43

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) योजनान्तर्गत 15 नवीन गोट कलस्टर हेतु ₹ 150.70 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 150,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 44

मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा हेतु मछुआ बीमित प्रीमियम राशि में वृद्धि के फलस्वरूप ₹ 8.94 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 45

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्राहकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 1322.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 13,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 46 एवं 47

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजनान्तर्गत (केन्द्रांश ₹ 164.198 लाख तथा राज्यांश ₹ 54.731 लाख) कुल राशि ₹ 218.929 लाख का व्यय की संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,18,92,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 48

मनरेगा अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व भत्ता हेतु राशि ₹ 608.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 6,08,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 49

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु विद्युत वितरण कंपनी को सहायता हेतु राशि ₹ 8740.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 87,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 50

सुकमा जिले में 03 मॉडल स्कूल कोन्टा, रॉकल (छिंदगढ़) मुर्तुण्डा (सुकमा) के छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 51

प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक/कन्या आश्रम एवं छात्रावास भवन के स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 84.82 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्र	स्वीकृत भवन निर्माण कार्य का नाम/स्थान	परिवर्तन स्थान
1	आदिवासी कन्या आश्रम भवन हुरेली वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	आदिवासी बालक आश्रम घासीटोला वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव
2	50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास फरसाबहार वि.ख. फरसाबहार जिला जशपुर	50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास महादेवडांड वि.ख. जशपुर जिला जशपुर
3	50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास तिवरागुड़ी वि.ख. रामानुजनगर जिला सूरजपुर	50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास देवनगर वि.ख. रामानुजनगर जिला सूरजपुर

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 52

केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक/कन्या छात्रावास भवन के स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 69.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्र	स्वीकृत भवन निर्माण कार्य का नाम/स्थान	परिवर्तन स्थान
1	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास भवन समुन्दपानी वि.ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा वि.ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 53

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक/कन्या छात्रावास के भवन निर्माण के स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

क्र	स्वीकृत भवन निर्माण कार्य का नाम/स्थान	परिवर्तन स्थान
1	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोठीटोला वि.ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लालबहादुर नगर वि.ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव
2	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरवाही वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास मोहला वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव
3	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोराचा वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास मानपुर वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
4	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास सीतागाँव वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास नेडगाँव वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
5	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कंदाडी वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोहका वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
6	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास वासडी वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास मोहला वि.ख. मोहला जिला राजनांदगांव

7	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोठीटोला वि.ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास चिचोला वि.ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव
8	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोरचाटोला वि.ख. चौकी जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी कन्या छात्रावास आतरगाँव वि.ख. चौकी जिला राजनांदगांव
9	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास टोहे वि. ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास खड़गाँव वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
10	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास सरखेड़ा वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास औधी वि. ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
11	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास बसेली वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुम्हारी वि. ख. मानपुर जिला राजनांदगांव
12	प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोसमी वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव	पोस्ट मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मानपुर वि.ख. मानपुर जिला राजनांदगांव

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 54

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित आई.टी.आई. के लिये मशीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जायेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 55 से 56

सूरजपुर एवं कोण्डागांव में सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक भवन निर्माण हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 57

नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं को शामिल किया गया है :-

1. विकासखण्ड गुणरदेही के देवरी (ख) के अंतर्गत 07 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना (लागत राशि ₹ 976.57 लाख) हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।
2. विकासखण्ड चौकी के आर्सेनिक प्रभावित 18 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना (लागत राशि ₹ 2041.63 लाख) हेतु राशि ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।
3. कोसारटेडा के 29 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना (लागत राशि ₹ 4976.00 लाख) हेतु राशि ₹ 550.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इस हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 58

नारी निकेतन भवन दन्तेवाड़ा के निर्माण कार्य लागत ₹ 121.00 लाख पर इस वर्ष 50.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसे विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 59

सौंदर्य परियोजना के अंतर्गत भू-अर्जन के भुगतान पर (वित्तीय भार ₹ 2000.00 लाख) ₹ 200.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 60

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखण्ड में बुलेकेरा एनीकट (अनुमानित लागत ₹ 5020 लाख) एवं बैहामुड़ा बैराज के निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 2838 लाख) हेतु ₹ 780.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 61

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु ₹ 3800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 62

नाबार्ड की सहायता से स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदाम निर्माण पर ₹ 1900.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 63

विद्युत उत्पादन कंपनी को पूंजीगत सहायता के रूप में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु राशि ₹ 9500.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 95,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।